न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-272/2025, सी0आई0एस0 – 272/2025
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

FORM A

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA

DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)

न्यायालय सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)

पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी

निर्णय की तिथि– 05–05–2026

सत्र प्रकरण कमांक- 272/2025 सी0आई0एस0 – 272/2025

सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

(थाना महुली के अपराध कमांक 12/24 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 19.11.2025 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा, वल्द–मुन्नी ठाकुर, उम्र–30 वर्ष। सा0–अफरडीह, थाना–महुली, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री राजीव रंजन और श्री पंकज कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	21.03.2024
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	25.03.2024
आरोप पत्र की तिथि	12.08.2024
आरोप गठन की तिथि	29.01.2026
साक्ष्य आरंभ की तिथि	25.02.2026
निर्णय निर्धारण की तिथि	23.04.2026
निर्णय की तिथि	05.05.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	––––––

अभियुक्तगण का विवरणः–

क्रम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा	10.06.2024	10.06.2024	**धारा– 307 / 109 एवं 506 / 109 भा0द0 सं0**	**दोषमुक्त**	––––	––––

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-272/2025, सी0आई0एस0 – 272/2025
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

निर्णय

(1). अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा का धारा–307/109 एवं 506/109 भा0द0सं0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2024 को सूचक मुन्नी ठाकुर द्वारा थाना महुली में यह लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 21.03.2024 को शाम 06:00 बजे सूचक के पुत्र हरेन्द्र शर्मा को घर से फुसलाकर अंजली कुमारी घर से दक्षिण पैन में ले गई। उसने जान से मारने के नियत से गमछा से उसके गला में फांसी लगा दी। वह बेहोश होकर गिर गया जब वह देखी की वह मर गया है, तब वह फॉसी का फन्दा खोलकर भाग गई। कुछ समय बाद जब सूचक के पुत्र को होश आया तब शाम 07:00 बजे वह घर पहुँचा। घर आने के बाद घटना की बात सूचक को बताया। दो दिन पहले अंजली कुमारी के पिता सत्येन्द्र शर्मा से झगडा हुआ था उसी झगडा में सत्येन्द्र शर्मा ने सूचक से बोला था कि तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देगे। सत्येन्द्र शर्मा ने अपनी पुत्री अंजली कुमारी को कहा कि उसे अकेले में ले जाकर जान मारकर फेक दो। सत्येन्द्र शर्मा का कहना है कि सूचक दूसरी शादी करके एक हिस्सेदार खडा कर दिया है इसे जिन्दा रहने नहीं देगे। सूचक को दूसरी शादी करने का मुख्य कारण यह है कि उसका कोई पुत्र खना–पीना नहीं देते थे और सूचक खाना अपने बनाकर खाता था इस कारण सूचक को दूसरी शादी करनी पडी। सूचक अपने पुत्र से अलग रहता है। सूचना देने में विलम्ब होने का कारण यह है कि ग्राम पंचायती में समझौता की बात चल रही थी लेकिन अभियुक्त पंचायती की बात को नहीं माना।

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा और अंजली कुमारी के विरूद्ध थाना शेखपुरा के अपराध क्रमांक 12/2024 धारा–307,506 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–307,506 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शेखपुरा जिला–शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.08.2024 को आरोप पत्र क्रमांक 15/2024 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 26.10.2024 का अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जिला–शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण अंजली कुमारी और सत्येन्द्र शर्मा

उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर के विरूद्ध धारा–307,506 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

दिनांक 05.02.2025 के आदेश के आलोक में वाद के दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अंजली कुमारी का वाद अलग कर किशोर न्याय परिषद शेखपुरा में भेजा गया। शेष एक मात्र अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा का वाद सत्र न्यायालय शेखपुरा में आगे का मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 19.11.2025 को पारित ओदश द्वारा सत्र न्यायलय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर के विरूद्ध दिनांक 27.02.2026 को धारा–307/109 एवं 506/109 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उसे हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 04.04.2026 को इस सत्र विचारण के अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त द्वारा उसे झूठा फॅसाने की बात कही गयी। अभियुक्त द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर उर्फ सत्येन्द्र शर्मा के विरूद्ध आरोपित आरोपों को परे साबित करने में सफल रहा है।

विनिश्चय Finding

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल चार अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी संख्या–01,डॉ रविश कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02, मुन्नी ठाकुर, अभियोजन साक्षी संख्या–03, हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर और अभियोजन साक्षी संख्या–04, धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ धर्मेन्द्र शर्मा का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर के जख्म प्रतिवदेन पर डॉ0 रविश कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 और प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक मुन्नी ठाकुर के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 रविश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि I was posted on 22-03-2024 as Medical Officer at Sadar Hospital, Sheikhpura and

On the same day, I examined the injured namely Harendra Thakur, aged about 09

yrs, S/o- Munni Thakur, R/o- Ataradih, P.S- Ariyari, Distt- Sheikhpura came in Emergency Room on 22.03.2024 at 04:09 P.M with ER No. 2142/E , complaining of physical assault and found followings-

1. Abrasion on front of neck of size 4” x 1” (LengthxWidth).
2. Mild abrasion behind neck.

M.I- Mole over right side chest.
Time of injury- 12 to 24 hrs.
X-ray cervical spine- no body lesion (Report attached)
nature of injury- Simple.
The injury report dated 01.04.2024 is in typewritten as per my direction having my signature on it which I identify, it is marked as **Exhibit-1.**

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि जख्मी के जख्म गिरने से भी संभव है।

(9). अभियोजन साक्षी संख्या–02, मुन्नी ठाकुर ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस मामले का सूचक हूँ। घटना वर्ष 2024 की है, तिथि याद नहीं है। यह घटना सात बजे संध्या की है। उस समय मैं घर पर था, हरेन्द्र शर्मा, वह करीब सात वर्ष का बच्चा था, वह घर आया था, तो मैंने उससे पूछा तुम अभी तक कहां थे, उसने बताया कि अंजली कुमारी उसे पैन की तरफ ले गयी थी, और नारियल का पेड़ उखाड़ने के लिए उसे कहा। जब हरेन्द्र नारियल का पेड़ उखाड़ने के लिए पैन के नीचे उतरा तो अंजली कुमारी अपने दुपट्टे से उसके गले में फंदा लगा दिया जिससे हरेन्द्र शर्मा बेहोश होकर गिर गया। अंजली कुमारी को लगा कि यह मर गया तो वह उसके गले से दुपट्टा खोलकर वहां से भाग गयी। हरेन्द्र शर्मा ने जो बातें मुझे बतायी उसी के आधार पर अगले दिन सुबह उठकर थाने में इस घटना का लिखित आवेदन दिया। इस घटना का कारण यह है कि मेरी पत्नी शकुन्ती देवी की मृत्यु हो चुकी है, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरा खाने पीने की कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की तब मै दो साल बाद दूसरा विवाह कर लिया, मेरी दूसरी पत्नी का नाम नमिता है, जिससे मेरा बेटा हरेन्द्र शर्मा जन्म लिया। तब अंजली कुमारी के पिता सत्येंद्र ठाकुर कहा कि तुम्हारे बेटे की हत्या कर दूँगा। उसी के कहने पर उसकी बेटी अंजली कुमारी ने इस घटना को अंजाम दिया। लिखित आवेदन मेरे द्वारा लिखा गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मै पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। अंजली का पिता सत्येंद्र ठाकुर आज न्यायालय में उपस्थित है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अंजली कुमारी मेरी पोती है। हरेंद्र शर्मा मेरा पुत्र है। हरेन्द्र शर्मा के साथ हुई घटना के समय मैं वहां मौजूद नहीं था। हरेंद्र शर्मा के साथ मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थीं। मैं अभियुक्त

सत्येन्द्र शर्मा जो मेरा पुत्र है, सन् 2012 से अलग खाना पीना और रहना सहना है। पर्व त्योहार के अवसर पर भी मैं सत्येंद्र शर्मा के साथ खाना पीना रहना सहना नहीं करता हूँ।
मुझे अपनी पहली पत्नी से छह लड़का है, और तीन लड़की है। मैंने दूसरी शादी किस साल की, याद नहीं है, लेकिन अपनी पहली पत्नी के मरने के दो तीन साल बाद मैंने दूसरा विवाह किया था। मेरे पहली पत्नी के सभी छह बेटे अलग अलग काम करते है, जिसमें सत्येन्द्र शर्मा सैलून भी चलाता है और झाड़ फूंक का काम करता है। मैं महरानी की पूजा और झाड़ फुंक करता हूँ। सत्येन्द्र ठाकुर के अलावे मेरे अन्य बेटे झाड़ फूंक का काम नहीं करते। अपनी दूसरी पत्नी से मुझे एक लड़का है। मेरा मेरे बेटे सत्येंद्र ठाकुर के साथ झाड़ फूंक करने को लेकर कोई विवाद नहीं था। मैंने अपनी जमीन अपने बेटों के बीच नहीं बांटी है, मेरे बेटे अपने अपने अनुसार कोई चार कट्ठा कोई पांच कट्ठा जमीन जोत रहा है, और कोई बेटा जमीन नहीं भी जोत रहा है। यह कहना गलत है कि हरेन्द्र के साथ कोई घटना नहीं घटी है। यह कहना गलत है कि मैंने अपने बेटे सत्येन्द्र, जो मुझसे अलग रहता खाता पीता है, उसपर दबाव बनाने के लिए यह झूठा केस किया है।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–03, हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मेरे साथ जो घटना हुई थी, वह सन् 2024 की है तारीख मुझे याद नहीं है। घटना चार बजे संध्या की है। उस समय मुझे अंजली कुमारी अपने साथ पैन ले गयी थी। जब मैं अपने घर से दक्षिण तरफ खेल रहा था तो अंजली कुमारी मुझे बुलाकर पैन की तरफ ले गयी। अंजली कुमारी ने मुझसे कहा कि चलो नारियल का गाछ कवाड़ना है। पैन में अंजली कुमारी ने अपने दुपट्टे से मेरे गले में फांसी लगा दिया जिससे मै बेहोश हो गया और मुझे सात आठ बजे के करीब होश आया तो मैं वहॉ से घर आया। घर आकर मैं अपने पिता मुन्नी शर्मा को बताया कि भैया सत्येन्द्र कुमार की बेटी अंजली कुमारी मुझे अपने दुपट्टे से फांसी लगा दी थी जिससे मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन सुबह मेरे पापा केस करने माहुली थाना गये, उनके साथ मैं भी थाना में गया था, मेरे पापा ने अंजली के विरूद्ध थाना में केस दर्ज कराये थे। थाने में पुलिस मुझसे भी केस के बारें में पूछताछ की थी। पुलिस को भी मैंने अपने बयान में आज मुख्य परीक्षण में जो बात बताया हूँ, वहीं बात बताया। थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस वाले शेखपुरा में सदर अस्पताल में मेरे गले में आये जख्मों का परीक्षण कराये थे, उस घटना मेरा गला पूरा कसा गया था जिसके कारण मैं बेहोश हुआ। शेखपुरा में इलाज होने के बाद कोलकाता के किसी अस्पताल में जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरा इलाज हुआ। मेरे गले में फांसी लगाते समय केवल अंजली वहां पर थी, अंजली का पिता वहां पर नहीं था।

अंजली आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सत्येन्द्र जो मेरे भईया है उसकी बेटी है। अंजली मुझे फांसी क्यों लगायी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अंजली को थोड़ी कम बुद्धि है। आज न्यायालय में मैंने जो गवाही दिया है, वह अपने मन से दिया है। अंजली मुझसे बड़ी है।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–04, धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ धर्मेन्द्र शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस की घटना के बारें मे कुछ नहीं जानता। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामलो का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि मुन्नी ठाकुर मेरे पिताजी जिन्होंने केस किया था। हरेन्द्र शर्मा मेरा सौतेला भाई है। सत्येन्द्र ठाकुर मेरा सहोदर भाई है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस को बयान दिया था कि सत्येन्द्र ठाकुर मेरा सहोदर भाई है और हरेन्द्र शर्मा मेरा सौतेला भाई है। मेरे भतीजी जो सत्येन्द्र ठाकुर की बेटी है, वह मेरे सौतेले भाई को बहला–फुसलाकर घर के बगल में ले गयी और गमछा से गला बांध दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर गया, मेरी भतीजी अंजली कुमारी को लगा कि वह मर गया है, तो वह वहॉ से भाग आयी। घटना के दो तीन दिन पहले मेरे भाई एवं पिता के साथ बाता–बाती हुआ था और पंचायती हुआ था। पंचायती में मेरे पिताजी नहीं माने जिसके कारण यह घटना हुई। आज न्यायालय में सत्येन्द्र शर्मा उपस्थित है, इसे मैं पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आज न्यायालय में पुलिस की सूचना पर गवाही देने आया हूॅ। मेरी भतीजी अंजली कम बुद्धि की हैं। अभियुक्त मेरा भाई है इसलिए मै उसे पहचानता हूॅ।

(12). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि सभी अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(13). विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियेजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र शर्मा जो इस घटना के आहत साक्षी है और अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर द्वारा अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया गया है, इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य की सम्पुष्टि अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 रविश कुमार के साक्ष्य से हो रहा है।

इन सभी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन एकमात्र अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(14). बचाव पक्ष/अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी साक्षी द्वारा विचारधीन अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर के संलिप्तता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रकट नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष अंजली कुमार द्वारा आहत हरेन्द्र शर्मा के गला दबाने का तथ्य प्रकट किया है। अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से इस घटना के षडयंत्र में अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर के सम्मिलित होने या अंजली को घटना करने हेतु उकसाने के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हो पाया है।

ऐसा भी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंजली कुमारी को यह घटना करने के लिए विचाराधीन अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा द्वारा उकसाया गया था इसमें अंजली कुमारी की सहायता की गई है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री विचारण के दौरान अभिलेख पर लाने में पूर्णतः विफल रहा है।

उक्त आधार पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया है।

(15). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(16). अभियोजन के कथानक के अनुसार अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर के विरूद्ध अपनी पुत्री अंजली को उकसाकर आहत हरेन्द्र शर्मा का गला दबाकर हत्या करने के प्रयास कराने का आरोप है और इस आरोप को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल चार साक्षियों का परीक्षण कराया गया है जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ0 रविश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–मुन्नी ठाकुर जो इस मामले का सूचक एवं आहत हरेन्द्र शर्मा का पिता है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 स्वयं आहत हरेन्द्र शर्मा है एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 धर्मेन्द्र शर्मा उर्फ धर्मेन्द्र ठाकुर जो सत्येन्द्र शर्मा के भाई एवं अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

यहॉ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस मामले के अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा एवं

आहत/जख्मी हरेन्द्र शर्मा आपस में सौतेले भाई है और इस मामले के सूचक सहअभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी शर्मा अभियुक्त एवं आहत दोनों के पिता है।

अभियोजन की तरफ से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–1 डॉ रविश कुमार द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना 22.0302024 को यह साक्षी सदर अस्पताल शेखपुरा में चिकित्सक अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उस दिन शाम के 04:09 बजे इस साक्षी द्वारा आहत हरेन्द्र ठाकुर के चोटों का परीक्षण किया गया था जिसमें इस साक्षी द्वारा आहत हरेन्द्र के गले में 4 इंच लम्बा एवं 1 इंच चौडा खरोच (Abrasion) पाया था। उक्त चोट 12 से 24 घंटे के अन्दर की थी और साधारण प्रकृति की थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन हेतु अभियुक्त की ओर से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया है और इस साक्षी द्वारा प्रकट किए गए तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है, जिस कारण इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रकट किया गया उपरोक्त तथ्य अखंडित रहा है।

इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि इस साक्षी द्वारा दिनांक 22.03.2024को शाम 04:09 बजे आहत हरेन्द्र शर्मा का परीक्षण किया गया तो उसके गले पर उपरोक्त वर्णित चोटे पाई गई।

ऐसी दशा में आग्रिम साक्ष्य विश्लेषण द्वारा यह तथ्य विचारणीय है कि क्या आहत हरेन्द्र शर्मा के गले पर पाई गई चोट के लिए इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा अपराधिक रूप से उतरदायी है।

इस तथ्य के विश्लेषण हेतु अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर, अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ धर्मेन्द्र शर्मा का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभियोजन साक्षी संख्या–4 धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा मुख्य परीक्षण में इस घटना के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अन्वेषण अधिकारी का कोई बयान न देने का तथ्य प्रकट किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किए जाने पर अभियेाजन पक्ष द्वारा अभियेाजन मामले के तथ्यों के समर्थन में इस साक्षी से अनेकानेक सूचक प्रश्न पूछे गए और अभियोजन मामले के तथ्यों के समर्थन में अनेक सुझाव दिए गए है।

परन्तु इस साक्षी द्वारा अन्वेषण अधिकारी को बयान देने के तथ्य से इंकार करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए हर तथ्य के सुझाव को अस्वीकार किया गया है।

इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन मामले के समर्थन में इस साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य से किसी प्रकार का कोई तथ्य अभिलेख पर उत्पन्न नहीं हो पाया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र शर्मा इस मामले के एकमात्र आहत/जख्मी साक्षी है। यह साक्षी 11 वर्ष का है। इस साक्षी के साक्ष्य का सक्षमता जानने के लिए न्यायालय द्वारा इससे अनेकानेक सूचक प्रश्न पूछे गए है और इस साक्षी के जवाब से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा इस साक्षी को साक्ष्य देने की अनुमति दी गई है।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया यगा है कि घटना के समय यह साक्षी अपने घर के दक्षिण तरफ खेल रहा था। अंजली कुमारी उसे बुलाकर पैन के तरफ ले गई ओर पैन में ले जाकर अंजली कुमारी अपने दुप्पटा से इस साक्षी के गले में फांसी लगा दी, जिससे यह साक्षी बेहोश हो गया, जब इस साक्षी को होश आया तो अपने घर आया और अपने पिता मुन्नी शर्मा को उपरोक्त घटना की जानकारी दी। घटना के अगले दिन इस साक्षी के कहने पर महुली थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियुक्त कि पहचान की गई है और यह तथ्य प्रकट किया गया है कि मुख्य परीक्षण में जो बात बताया गया है, वही बात उसने पुलिस को बताया था इस साक्षी के अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–3 में यह तथ्य स्पष्ट किया है कि उसके गले में आई चोटों का प्रारंभिक ईलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में हुआ था तदोपरांत कलकता के किसी अस्पताल में हुआ। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी तथ्य प्रकट किया है कि अंजली जो उसके गले में दुपट्टा लगाकर फांसी दे रही थी वह इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा की पुत्री है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों को अभियुक्त पक्ष द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है।

इस प्रकार इस विषय पर इस साक्षी का साक्ष्य अखंडित रहा है और एकमात्र आहत साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य से भली–भॉति प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक 22.03.2024 को घटना के समय अंजली कुमारी द्वारा इस साक्षी के गले में दुपट्टा लगाकर फांसी देने का प्रयास किया गया, इसलिए यह साक्षी बेहोश हो गया।

इस एकमात्र आहत साक्षी द्वारा इस घटना में विचाराधीन अभियुक्त के संलिप्तता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकट किया गया है कि वह इस मामले का सूचक है। घटना 22.03.2024 की है। संध्या 07:00 बजे हरेन्द्र शर्मा अपने घर पर आया और बताया कि अंजली कुमारी उसे पैन के पास ले गई और उसे पैन के नीचे उतारकर अपने दुपट्टे से उसके गले में फांसी का फन्दा लगा दी, जिससे वह बेहोश हो गया जब अंजली कुमारी को लगा कि वह मर गया तो उसके गले से दुपट्टा खोलकर वहॉ से भाग गई। उक्त सूचना प्राप्त होने पर घटना के अगले दिन इस साक्षी द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गई।

मुख्य परीक्षण के दौरान इस साक्षी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि इस साक्षी की पहली पत्नी शकुन्ती देवी की मृत्यु होने के बाद उसके बच्चे द्वारा इस साक्षी का देखभाल नहीं कि जा रही थी तब इस साक्षी द्वारा नमिता नाम की महिला के साथ दूसरा विवाह कर लिया, जिससे उसके छोटे पुत्र हरेन्द्र शर्मा का जन्म हुआ जो इस मामले के आहत साक्षी है और इस मामले के अभियुक्त सत्येन्द्र ठाकुर इस साक्षी से कहा कि वह उसके पुत्र हरेन्द्र शर्मा की हत्या कर देगा और उसी के कहने पर इस विचाराधीन अभियुक्त की पुत्री अंजली कुमारी द्वारा इस घटना का अंजाम दिया गया।

इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षण का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इस घटना के बारे में इस साक्षी के सूचना का श्रोत आहत हरेन्द्र शर्मा है, जिसके द्वारा इस साक्षी को अंजली कुमारी द्वारा उसके गले में दुपट्टा लगाकर फांसी देने की बात बताई गई।

इस प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर दोनों के न्यायलयीन साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल पर इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा की उपस्थित नहीं था और फांसी देने की घटना अंजली कुमारी द्वारा की गई जो इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त नहीं है।

इस साक्षी के मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि जब से उसका पुत्र हरेन्द्र शर्मा का जन्म हुआ था तब से इस साक्षी के पिता सत्येन्द्र शर्मा जो इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त है। वह कहा करता था कि वह हरेन्द्र शर्मा की हत्या कर देगे और सत्येन्द्र के कहने पर ही उसकी पुत्री अंजली कुमारी द्वारा इस घटना का अंजाम दिया गया था।

परन्तु अभिलेख पर अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर के इस मौखिक कथन के अलावे इस मामले के विचाराधीन अभियुक्त द्वारा अपनी पुत्री अंजली कुमारी को आहत हरेन्द्र शर्मा

की हत्या करने हेतु उकसाने का या इस घटना में उसके साथ किसी षडयंत्र में सम्मिलित होने या घटना में संलिप्त होने का किसी भी प्रकार का साक्ष्य उपलबध नहीं है बल्कि अभियोजन साक्षी संख्या–3 हरेन्द्र शर्मा (आहत) के न्यायालयीन परीक्षण के कंडिका–6 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि अंजली कुमारी द्वारा उसके गले में फांसी का फन्दा लगाया गया था वह थोडी कम बुद्धि की है।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका–7 में प्रकट किए गए तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस साक्षी का पूर्व से अपने पुत्र सत्येन्द्र शर्मा जो इस मामले के अभियुक्त है साथ विवाद या घटना की प्राथमिकी घटना घटित होने के चार दिन के बाद दर्ज करायी गयी है, जिसका सूचक साक्षी द्वारा न्यायलयीन परीक्षण के दौरान कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यद्यपि कि मामले की प्राथमिकी में उसके द्वारा यह तथ्य वर्णित किया गया है कि पंचायती के माध्यम से समझौते की बात चल रही थी इस कारण से थाने में आवेदन देने में विलंब हुआ किन्तु पंचायत में सम्मिलित किसी भी व्यकित का अभियोजन की ओर से परीक्षण नहीं कराया गया था कि उभयपक्षों के मध्य पंचायत में सुलह–समझौते की बात हो रही थी जिसके कारण इस मामले का प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब हुआ।

यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि मामले के प्राथमिकी स्वमेव साक्ष्य नहीं होती है अभियोजन पक्ष को साक्ष्यों के माध्यम से मामले के प्राथमिकी साबित करना होता है और इस मामले में न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब के कारण संबंध में किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऐसी दशा में केवल प्राथमिकी में विलंब के कारण के बारे में लिखी हुई बाते वैधानिक रूप से इस मामले के निराकरण हेतु विलंब के कारण स्पष्टीकरण के रूप में विचार में नहीं ली जा सकती है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान परीक्षित कराए गए उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि आहत हरेन्द्र शर्मा के साथ घटित हुई। घटना अंजली कुमारी द्वारा पहुचाई गई और घटनास्थल पर इस मामले का विचाराधीन अभियुक्त उपस्थित नहीं था।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि विचाराधीन अभियुक्त द्वारा इस घटना को किए जाने के लिए अपनी पुत्री अंजली कुमारी को उकसाए जाने या इस घटना हेतु अंजली कुमारी के साथ किसी षडयंत्र में किसी भी प्रकार से शामिल होने

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-272/2025, सी0आई0एस0 – 272/2025
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

का कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है और अभियेाजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी ठाकुर जो इस मामले के सूचक है उसके द्वारा मात्र संदेह के आधार पर यह तथ्य प्रकट किया जा रहा है कि पूर्व में उसके पुत्र हरेन्द्र शर्मा की हत्या की धमकी दी थी इसलिए अंजली कुमारी को उकसाकर यह घटना कराई गई।

विधि के सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराधिक मामले का निराकरण या किसी व्यक्ति के अपराधिक दायित्व का निर्धारण ठोस एवं युक्ति युक्त संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति के शंका या मन के विश्वास के आधार पर नहीं किया जाता है।

(17).आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इसी प्रकार आपराधिक विधि का यह भी सिद्धांत है कि युक्तियुक्त संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

आपराधिक विधि के उपरोक्त सुस्थापित सिद्धांत के आलोक में इस मामले के अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री के उपरोक्त समीक्षा के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅंची है कि अभियोजन पक्ष इस घटना में विचाराधीन एकमात्र अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर के विरूद्ध आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

परिणामस्वरूप उचित संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर को आरोपित धारा– 307/109 एवं 506/109 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

एकमात्र दोषमुक्त सत्येन्द्र शर्मा उर्फ सत्येन्द्र ठाकुर पूर्व से जमानत पर मुक्त है। दोषमुक्ति के परिणाम स्वरूप उसका जमानत बंध पत्र विखंडित किया जाता है और उसे तथा उसके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 05.05.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 05.05.2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-272/2025, सी0आई0एस0 – 272/2025
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

FORM-C

अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	डॉ0 रविश कुमार	विशेषज्ञ साक्षी/ चिकित्सक साक्षी
अभि0 सा0 सं0 2	मुन्नी ठाकुर	सूचक/अनुश्रुत साक्षी
अभि0 सा0 सं0 3	हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी/आहत साक्षी
अभि0 सा0 सं0 4	धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ धर्मेन्द्र शर्मा	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति)चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन/बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W1	हरेन्द्र शर्मा उर्फ हरेन्द्र ठाकुर के जख्म प्रतिवदेन पर डॉ0 रविश कुमार का हस्ताक्षर
2.	P2/P.W2	प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर सूचक मुन्नी ठाकुर का हस्ताक्षर

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1		

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-272/2025, सी0आई0एस0 – 272/2025
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-006299-2025

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–05.05.2026

Date of Judgment/order	05.05.2026
Date of Reserving Judgment/order	23.04.2026
Uploading Date	08.05.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari